न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 144/16
अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुतरसिंह पुत्र नरसिंह		1. तहसीलदार शिव
2. ओनाड़सिंह पुत्र नरसिंह		2. अधिषाषी अभियन्ता एन.एच.ए.आई. बाड़मेर
3. उगमसिंह पुत्र जयसिंह		3. चनेसर खां पुत्र जमा खां
4. वीरसिंह पुत्र जयसिंह		4. अली खां पुत्र जमा खां
5. श्रीमती ढेलकंवर पत्नि जयसिंह		5. अबास खां पुत्र जमा खां
6. मानसिंह पुत्र कानसिंह		6. हनीफ खां पुत्र जमा खां
7. पर्वतसिंह पुत्र कानसिंह		7. आरब खां पुत्र जमा खां
8. श्रीमती सदाकंवर पत्नि कानसिंह		8. सोराब खां पुत्र जमा खां
9. शैतानसिंह पुत्र आईदानसिंह		9. सतार खां पुत्र जमा खां
10. रूघसिंह पुत्र आईदानसिंह		10. कुरबान खां पुत्र जमा खां
11. विश्वजीतसिंह पुत्र बालसिंह		11. रामती बेवा जमा खां जाति मुसलमान निवासी निम्बासर तहसील षिव जिला बाड़मेर
12. श्रीमती सुगनकंवर पत्नि बालसिंह जति राजपुत निवासी हाथीसिंह का गावं तहसील षिव जिला बाड़मेर		12. मैनेजर एस.बी.बी.जे शाखा बाड़मेर

अधिवक्तागण –प्रार्थी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित
विप्रार्थी सं. 2 वकील – श्री बालाराम चौघरी

निर्णय

दिनांक :–...................

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 3 से 11 के खेत ग्रम निम्बासर तहसील शिव मे आये हुए है। प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 131/7 रकबा 30–02 बीघा है जिसके पड़ौस में विप्रार्थीगण का खेत दक्षिणी सेढे पर खसरा नम्बर 7 रकबा 52–07 बीघा आया हुआ है।

प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 131/7 में से होकर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 चलता है इस कारण प्रार्थीगण का खेत दो भागो में विभक्त हो जाने से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सड़क के दोनो और है।

तत्कालीन हल्का पटवारी शिव ने बिना मौके की जांच किये बिना प्रार्थीगण की जानकारी मे लाये इस सड़क की तरमीम कर दी। तरमीम से प्रार्थीगण के खेत का वह रकबा, जो सड़क के दक्षिण में विप्रार्थी सं. 3 से 11 के सेढे पर आया है, को विप्रार्थीगण के खेत मे मिला दिया जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को नही रहा। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार हेतु भूमि आवाप्त करने हेतु मौके की सर्वे की जाने लगी तब प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो सड़क के दक्षिण दिशा में आई है, उसे खेत त्रुटीपूर्ण तरमीम के कारण विप्रार्थी सं. 3 से 11 की खातेदारी में बता दी है। तब तरमीम दुरूस्ती की प्रार्थीगण को आवश्यकता हुई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पेष कर निवदेन किया मौजा निम्बासर के खेत खसरा नम्बर 131/7, 130/7 व 7 की राजस्व टीम का गठन कर पैमाईष कराई जाकर सड़क की तरीमम दुरूस्त कराई जावे व सड़क के दक्षिण मे जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आती

Scanned by CamScanner

है, उसका नवीन खसरा नम्बर कायम कर प्रार्थीगण के खसरो के रकबे की दुरूस्ती कर अंकन रेकर्ड खातेदारी में करवाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकालतनामा प्राप्त हुआ। शेष विप्रार्थी सं. 3 से 11 की बाद तामिली रिपोर्ट प्राप्त बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 2 पूर्व मे जवाब पेष किया गया जिसे रिकॉर्ड पर नही लिया गया जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी सं. 2 ने जवाब पेश कर बताया कि राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा भूमि का सीमा करवाने के बाद राजस्व दस्तावेज व नक्शे के अनुसार ही निर्माण किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर भूमि की पैमाईश कर अलग तरमीम करके दी है तथा राजस्व दस्तावेज में की गई तरमीम व लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार ही सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जो राजस्व दस्तावेज में की गई तरमीम के अनुसार ही किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे पाया गया कि ग्रम निम्बासर की खसरा नम्बर 131/7 व 7 के मध्य से रिकार्ड अनुसार चल रही सड़क उक्त स्थान पर नही बल्कि खसरा नम्बर 131/7 के मध्य चल रही है। खसरा नम्बर 7 सड़क से जुड़ा हुआ नही है।

तहसीलदार शिव विवादित भूमि के साथ–साथ अन्य उन समस्त खसरो, जिनके मध्य नक्षा स्थिति एवं मौका स्थिति में भिन्नता है, के सम्बंध मे तहसीलदार षिव से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी कि गई।

तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/49 दिनांक 12.03.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। ग्रम निम्बासर के मूल खसरा नम्बर 1, 3, 5, 8, 7 मे से चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 68 की मौका स्थिति की जांच वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी व लट्ठा ट्रेस नक्षा) के आधार पर की गई, जांच के परिणामरूवरूप एन.एच.–68 का रेकर्ड अनुसार सीमांकन करने पर एन.एच.–68 अपनी मूल सिथति से हटकर अंकित हो रही है। वर्तमान रेकर्ड अनुसार सड़क मौके पर उक्त खसरो में खातेदारी भूमि मे अवस्थित है। सलंग्न नक्षा "परिषिष्ट अ" में वर्तमान रेकर्ड अनुसार तरमीम अंकित है, तथा नक्षा "परिषिष्ट ब" में संषोधित तरमीम अंकित कर शुद्वि हेतु दर्षायी है। तरमीम संषोधन से किसी खातेदार का हित प्रभावित नही होता है तथा मौका फर्द में वर्णित खसरो के अलावा अन्य कोई खसरो मे परिवर्तन नही होता है, राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती हेतु तरमीम संषोधन किया जाना वांछित है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/49 दिनांक 12.03.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती हेतु तरमीम संषोधन किया जाना बताया गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत विप्रार्थी सं. 2 का जवाब का अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार शिव को आदेश दिये जाते है कि तहसील शिव पटवार मण्डल शिव के ग्राम निम्बासर के खेत खसरा नम्बर 131/7 रकबा 30.02 बीघा के स्थान पर इस खसरा नम्बर को

Scanned by CamScanner

दो भागो मे विभक्त करते हुए खसरा नम्बर 131/7 रकबा 24.06 बीघा तथा इस खसरा नम्बर से नवसृजित खसरा नम्बर का रकबा 5.16 बीघा कायम करते हुए तहसीलदार शिव द्वारा जरीये पत्र कमाक भू0 अभिलेख 2019/49 दिनांक 12.03.2019 प्रेषित नक्शा परिशिष्ट **ब अनुसार इस खसरा नम्बर की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव द्वारा जरीये पत्र कमाक भू0 अभिलेख 2019/49 दिनांक 12.03.2019 प्रेषित नक्शा परिशिष्ट **ब** इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:48:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: